रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.D.-72.

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 346] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30 1978/अग्रहायण 9, 1900

No. 346] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 30, 1978/AGRAHAYANA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1978

सा०का०नि० 564(अ).— केन्द्रीय सरकार, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 3 में, स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"महानिदेशक द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत"।

3. उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) के अधीन अनुदत्त प्रत्येक अनुज्ञप्ति, जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगी। दो वर्ष की यह अवधि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, यदि ऐसे बढ़ाए जाने के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से कम-से-कम दो मास पूर्व उसे प्राप्त हो जाए और अनुज्ञप्तिधारी का कार्य अनुज्ञापन अधिकारी के समाधानप्रद रूप में हो।"

4. उक्त नियमों के नियम 6 में —

(1) शर्त (क) में :—

(क) प्रथम परन्तुक में, प्रविष्टि "प्ररूप I" के स्थान पर प्रविष्टि "प्ररूप I क" रखी जाएगी ;

(ख) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु की दशा में, तब जब अनुज्ञप्तिधारी कोई व्यष्टि हो, भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी के विधिक वारिस को, किसी फीस के संदाय के बिना, प्ररूप IIक में एक नई अनुज्ञप्ति अनवसित अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुदत्त की जा सकती है कि ऐसे वारिस द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप I क में एक आवेदन किया जाए और अनुज्ञापन अधिकारी का आवेदक के संबंध में, नियम 5 में उल्लिखित तथ्यों की बाबत समाधान हो जाए" ;

(2) विद्यमान शर्त (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) कोई अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले कारबार के संबंध में भागीदारी नहीं करेगा, या यदि अनुज्ञप्तिधारी पहले ही भागीदारी-फर्म है तो, वह उसमें और भागीदारी नहीं करेगा :

परन्तु यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले कारबार के संबंध में यथास्थिति भागीदारी या आगे और भागीदारी करना चाहता है तो, सभी प्रस्थापित भागीदार, जिसमें वर्तमान भागीदार भी हैं, अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप Iक में आवेदन करेंगे और यदि अनुज्ञापन अधिकारी का सभी प्रस्थापित भागीदार/भागीदारों के संबंध में, नियम 5 में उल्लिखित सभी तथ्यों की

बाबत समाधान हो जाता है तो वह बिना किसी पर्यवसान के एक नई अनुज्ञप्ति अनवसित अवधि के लिए, प्ररूप IIक, में जारी कर सकता है";

(3) विद्यमान शर्त (झ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(झ) कोई अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान, अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत आने वाले अपने कारबार को किसी नये परिसर में नहीं ले जायेगा । तथापि, यदि वह ऐसा करना चाहता है तो वह अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप Iक में आवेदन कर सकता है और यदि अनुज्ञापन अधिकारी का, प्रस्थापित परिसर के संबंध में, उक्त अधिनियम की धारा 8(ख) में उल्लिखित तथ्य की बाबत समाधान हो जाता है तो वह अनुज्ञप्ति को तदनुसार उपान्तरित कर सकता है । उपान्तरित अनुज्ञप्ति नये परिसर के संबंध में केवल ऐसे उपान्तरण की तारीख से विधिमान्य होगी ";

(4) शर्त (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अन्त स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(ञा) भागीदारी की समाप्ति/विघटन द्वारा अनुज्ञप्ति के पर्यवसान की दशा में, अनुज्ञप्ति के भूतपूर्व धारकों को, पर्यवसान की तारीख को उनके कब्जे में के पुरावशेषों का, अनुज्ञप्ति के पर्यवसान की तारीख से छह मास के भीतर किसी अनुज्ञप्तिधारी या भारत के किसी मान्यता प्राप्त संग्रहालय को विक्रय करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु यह तब जब अनुज्ञप्ति के भूतपूर्व धारक ने, शर्तें (ट) और (ठ) में आधिकथित के अनुसार प्ररूप V में अपना स्टाक समुचित रूप में घोषित किया हो ।

(ट) अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से दो मास पूर्व प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन अधिकारी का प्ररूप V में, स्टाक की एक घोषणा भेजेगा और अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से ठीक छह मास पश्चात् स्टाक की एक अन्य घोषणा प्ररूप VI में भेजेगा ।

(ठ) अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिये किसी शर्त के पालन न किये जाने के कारण अनुज्ञप्ति के प्रति संहरण की दशा में भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी प्रतिसंहरण के 15 दिन के भीतर प्ररूप V में स्टाक की घोषणा अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(ड) अनुज्ञप्ति की धारक भागीदारी फर्म के विघटन की दशा में, फर्म का प्रत्येक भागीदार विघटन होने पर तुरन्त संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप V में स्टाक की घोषणा और विघटन की तारीख से छह मास के तुरन्त पश्चात् प्ररूप VI में स्टाक की एक अन्य घोषणा भेजेगा ।

(ढ) वह अनुज्ञप्तिधारी जो अपना अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करना चाहता है, अनुज्ञापन अधिकारी को प्ररूप X में आवेदन करेगा । आवेदन के साथ प्ररूप V में स्टाक की घोषणा होगी । यदि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि अनुज्ञप्ति-धारी ने अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों का पालन किया है तो वह अभ्यर्पण स्वीकार कर सकता है और ऐसी स्वीकृति की तारीख से अनुज्ञप्ति पर्यवसित हुई समझी जायेगी । इससे अनुज्ञप्तिधारी किसी भी रूप में अनुज्ञप्ति फीस के प्रतिदाय के रूप में किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(ण) उस अनुज्ञप्तिधारी को, जिसने अपनी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित की है, घोषित पुरावशेषों को, उसकी अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण की स्वीकृति की तारीख से छह मास तक किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या भारत के किसी मान्यताप्राप्त संग्रहालय को विक्रय करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उक्त छह मास की समाप्ति पर वह अनुज्ञापन अधिकारी को, प्ररूप VI में स्टाक की घोषणा भेजेगा ।"

5. उक्त नियमों के नियम 7 में—

(क) "ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा जो तीन वर्ष से अधिक न हो, जैसा अनुज्ञापन आफिसर उचित समझें" शब्दों के स्थान पर "एक समय पर दो वर्ष की और अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा" शब्द रखे जायेंगे;

(ख) नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह तब जब ऐसा आवेदन, अनुज्ञापन अधिकारी को अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से कम-से-कम दो मास पूर्व प्राप्त हो जाये और उसके साथ प्ररूप VI में स्टाक की घोषणा हो ।"

6 उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (क) में से, "और बहुमूल्य कलाकृतियां" शब्दों का लोप किया जायेगा ।

7. उक्त नियमों के नियम 9 में, "धारा 12 के अधीन घोषणा" शब्दों के स्थान पर "धारा 12 और नियम 6 तथा 7 के अधीन घोषणा" शब्द रखे जायेंगे ।

8 नियम 11 के उपनियम (2) में, "पोस्टकार्ड या बड़े आकार की फोटोचित्र की चार प्रतियां" शब्दों के स्थान पर "पोस्ट कार्ड या क्वार्टर आकार की फोटोचित्र की तीन प्रतियां," शब्द रखे जायेंगे ।

9. नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"15. अभियोजन की मंजूरी महानिदेशक देगा—

महानिदेशक अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के लिये अभियोजन संस्थित करने या अभियोजन चलाने की मंजूरी देने के लिये अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के शब्दों में सक्षम अधिकारी होगा ।"

10. नियमों के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"टिप्पण : नियम 6 की (ञा) से (ण) तक की शर्तों में और नियम 9 के उपनियम (ख) में निर्दिष्ट प्ररूप V और VI में की घोषणायें रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से की जायेंगी ।"

11. प्ररूपों में,—

(क) प्ररूप I के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"प्ररूप I क

[नियम 6 देखिए]

जिस अनुज्ञप्ति के धारक की मृत्यु हो गयी है, या जिसके धारक (धारकों) ने अन्य को अपना/अपने कारबार अन्तरित कर दिया है/दिए हैं या जिसका (के) धारक भागीदारी/और भागीदारी करने की प्रस्थापना करता है (करते हैं) । उस अनुज्ञप्ति के स्थान पर, पुरावशेषों के विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना करने के कारबार को चलाने के लिए नई अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन

1. आवेदक/आवेदकों का नाम और पता ।

2. शाखाओं या उसके संमपार्श्विकों सहित फर्म के नाम और पता और अन्य नाम (उपनाम) और पते जो पिछले छह वर्षों में रहे हों ।

3 उन भागीदारों, यदि कोई हो के नाम और पते, जिनमे कुटुम्ब के वे वयस्क सदस्य सम्मिलित होंगे जिनका कारबार में कोई हित या अंश है।

टिप्पण : यदि यह आवेदन विद्यमान भागीदारी में प्रस्थापित प्रवेश या उसके प्रस्थापित विस्तार के परिणामस्वरूप है तो, अपेक्षित ब्यौरे विद्यमान धारकों और प्रस्थापित धारकों के लिये पृथक्‌तः दिए जाने चाहिए।

4 शोरूम/विक्रय परिसर के पते।

5 सभी गोदामो और निक्षेपागारो के पते जिनमे घटकों के निवासीय परिसर भी सम्मिलित हैं ।

6 अपने अनुभव का ब्यौरा देते हुए वह अवधि जिसके दौरान आवेदक कारबार करता रहा है ।

7. क्या आवेदक/फर्म (सभी संघटको को व्यष्टितः और संयुक्ततः सम्मिलित करते हुए) को पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये या पुरावशेषों की चोरी या तस्करी के किसी अन्य मामले मे सिद्धदोष किया गया है, यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दिये जायें।

8. क्या आवेदक/फर्म (व्यष्टितः या संयुक्तः सभी संघटकों को सम्मिलित करते हुए) पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण), अधिनियम, 1947 के उल्लंघन या पुरावशेष या बहुमूल्य कलाकृति की चोरी के बारे में अभियोजन/अन्वेषण/जांच के अधीन है।

9. क्या आवेदन की तारीख तक का सारा स्टाक आवेदक के रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है।

10. जिला और राज्य सहित वह ग्राम, कस्बा या नगर जहां आवेदक कारबार करने का आशय रखता है ।

11. प्रकृति, अर्थात् उन पुरावशेषों के प्रकारो के ब्यौरे जिनमे आवेदक संव्यवहार करना चाहता है जैसे कि प्रस्तर कलाकृतियां धातु की वस्तुएं, काष्ठ की वस्तुएं, सिक्के, रागचित्र, पाण्डुलिपियां, आभूषण तथा उसी प्रकार की अन्य वस्तुए ।

12 कब्जे मे उन सभी वस्तुओ की प्रवर्ग के अनुसार सूची जिनके बारे में आवेदक ने यह दावा किया है कि वे उसके पास पुरावशेष है, जिनमें वे वस्तुएं भी आती हैं जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के यहां रजिस्ट्रीकृत हो गई है ।

13. उस अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां, जिसके बदले में नई अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है।

(क) सं० (ख) तारीख (ग) अनुज्ञप्तिधारी का (क) नाम (घ) तारीख सहित वह अवधि, जिसके लिये जारी की गई/नवीकृत की गई है।

14. वह परिस्थिति, जिसके परिणामस्वरूप यह आवेदन किया गया है। (अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु/कारबार का अन्तरण/भागीदारी में प्रवेश/विद्यमान भागीदारी का विस्तार । सबूत दीजिए ।

15. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपरोक्त सूचना मेरे/हमारे उत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर शुद्ध और पूर्ण है । मैं/हम यह वचन भी देता हूं/देते हैं कि मैं/हम पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबन्धों और तदधीन बने नियमों का पालन करूंगा/करेंगे। मैं/हम पूर्व वर्ष (19·····19·····) के लिये आयकर* प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति तथा कारबार स्थापन का रजिस्ट्रीकरण संख्या भी संलग्न करता हूं/करते हैं। मैं/हम यह वचन भी देता हूं/देते है कि पते के किसी पते के किसी परिवर्तन या नये गोदाम के अर्जन के बारे मे सूचना एक सप्ताह के अन्तर दूंगा/देंगे**। मैं/हम यह वचन भी देता हूं/देते है कि ऐसे अभिलेख, फोटोचित्र और रजिस्टर रखूंगा/रखेंगे और अपने खर्चे पर ऐसी विशिष्टियो और फोटोचित्रो सहित, जो नियम के अधीन अपेक्षित किए जाएं, कालिक विवरणियां प्रस्तुत करूंगा/करेंगे। मैं/हम यह वचन भी देता हूं/देते हैं कि मैं प्रत्येक अभिलेख, फोटोचित्र और रजिस्टर, जो इस संबंध में रखे गये है, अनुज्ञापन अधिकारी या इस निमित्त अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत सरकार के किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी के निरीक्षण के लिये उपलब्ध करूंगा/करेंगें।

संगठन की मुद्रा

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर और

तारीख

नाम"

(ख) प्ररूप II के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"प्ररूप II क

(नियम 6 देखिए)

अनुज्ञप्ति सं०

जारी करने की तारीख

जिस अनुज्ञप्ति के धारक की मृत्यु हो गयी है, या जिसके धारक (धारकों) ने अन्य को अपना/अपने कारबार अन्तरित कर दिया है/दिए हैं या जिसका (के) धारक भागीदारी/और भागीदारी करने की प्रस्थापना करता है (करते हैं), उस अनुज्ञप्ति के स्थान पर, पुरावशेषों के विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना करने के कारबार को चलाने के लिए अनुज्ञप्ति·····

तारीख ·····से·····तक विधिमान्य अनुज्ञप्ति सं तारीख·····का/के धारक (धारकों) की मृत्यु हो गई है। धारक (धारकों) ने अपना कारबार अन्य को अन्तरित कर दिया है। धारक भागीदारो/और भागीदारी मे प्रवेश करने की प्रस्थापना करता है/करते हैं।

और चारिस/अन्तरिती/प्रस्थापित भागीदारों ने, जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति के बदले में पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति की अनवसित अवधि के लिये नई अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये आवेदन किया है।

नाम :

पिता का नाम :

पता :

और पूर्वोक्त आवेदक, समय-समय पर यथा संशोधित, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के उपबन्धों और उनके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने के लिये वचन बद्ध हैं ।

मैं·····अनुज्ञापन प्राधिकारी, पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973 के नियम (5) के उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करता हूं जो तारीख से लेकर वर्षों की अवधि के लिए होगी।

*पते में कोई परिवर्तन तुरन्त अनुज्ञापन अधिकारी को संसूचित किया जाना चाहिये।

**कार्यालय की मुद्रा के साथ राजपत्रित अधिकारी अनुप्रमाणित किया जाए।

अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम के उपबन्धों तथा नियमों के अधीन अनुदत्त की जाती है और वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी होगी;

(1) अनुज्ञप्तिधारी केवल पुरावशेषों के निम्नलिखित प्रवर्गों में संव्यवहार करेगा। कारबार निम्नलिखित क्षेत्र में किया जाएगा :—

| | |
|---|---|
| (1) | (5) |
| (2) | (6) |
| (3) | (7) |
| (4) | (8) |

कार्यालय की मुद्रा

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

नाम

अनुज्ञापन अधिकारी"

(ग) विद्यमान प्ररूप V के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

प्ररूप V

स्टाक की घोषणा (नियम 6 (ञ), (ट) (ठ), (ड), (ढ), नियम 7 (II) और नियम 9(क) के अधीन शर्तें देखिए)।

वस्तुओं की विशिष्टियां

(प्रवर्ग-क्रम में)

| रजिस्टर में क्रम संख्या | वस्तु की पहचान और वर्णन (रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत) | सामग्री | आकार |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| अनुमानित आयु | यदि रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख | रजिस्ट्री सं० |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 |

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते है कि घोषणा की तारीख को मेरे/हमारे पुरातत्व स्टाक ऊपर वर्णित के अनुसार है।

संगठन की मुद्रा: अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

स्थान : फर्म का नाम

तारीख : अनुज्ञप्ति सं० "

(घ) विद्यमान प्ररूप VI के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

प्ररूप VI

स्टाक की घोषणा (नियम 6(ट), (ड), (ण), और 9 (ख) के अधीन शर्तें देखिए)

तारीख............ को घोषित स्टाक में से विक्रय की गई वस्तुओं की विशिष्टियां।

| रजिस्टर में क्रम सं० | फोटो चित्र सहित वस्तुओं का वर्णन | उन अनुज्ञाप्तिधारियों/अनुज्ञाप्तिधारी फर्मों के नाम और पते जिन्हें विक्रय किया गया |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

| विक्रय की तारीख | विक्रय की कीमत | अनुमानित आयु | हाथ में शेष वस्तुओं के विवरण रजिस्ट्रेशन सं० आदि सहित। |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 |

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस घोषणा की तारीख को मेरे/हमारे स्टाक ऊपर वर्णित के अनुसार है।

अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर

संगठन की मुद्रा (————)

स्थान. फर्म का नाम

तारीख अनुज्ञप्ति सं०————"

(ङ) प्ररूप VII की मद 3 में "पोस्टकार्ड के आकार में फोटोचित्र की चार प्रतियां" शब्दों के स्थान पर "पोस्ट कार्ड या क्वार्टर आकार के फोटो चित्र की तीन प्रतियां" शब्द रखें जाऐगें;

(च) विद्यमान प्ररूप IX के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात :—

"प्ररूप-IX

स्वामित्व का अन्तरण

(नियम 13 देखिए)

टिप्पण

1. इस प्ररूप को स्वामित्व के अन्तरण के समय ही (तीन प्रतियों में) भरा जाएगा।
2. एक प्रति सम्बद्ध रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी को और अन्य दो प्रतियां महा निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएंगी जिससे कि वे उनके पास अन्तरण के दस दिन के भीतर पहुंच जाएं।
3. यदि वस्तु अरजिस्ट्रीकृत पुरावशेष है तो इस प्ररूप की प्रत्येक प्रति के साथ वस्तु का (शीर्ष फोकस में) फोटो चित्र भी पोस्ट कार्ड या क्वार्टर आकार में भेजा जाएगा। यदि उस वस्तु के चारों ओर की साज-सज्जा सामने से भिन्न है तो सामने के फोटोचित्र के अतिरिक्त प्रत्येक ओर के फोटो चित्र भी पूर्वोक्त के अनुसार भेजे जाएंगे।
4. उपरोक्त औपचारिकताएं पूरा करने का उत्तरदायित्व विक्रेता/दाता पर होगा यदि वस्तु का विक्रय, दान या अनुदान किया गया है, अन्यथा वस्तु के नए स्वामी पर होगा।

अनुभाग—क (विक्रेता/दाता द्वारा पूरा किया जाएगा।

1. स्वामी का नाम————
2. स्वामी का पता————
*3. अनुज्ञप्ति सं०————
4 रजिस्टर में क्र० सं०————
5. एलबम में क्र० सं०————
6. वस्तु का नाम विषय————
7. प्रकृति/अर्थात् मूर्ति, पेंटिंग पाण्डुलिपि, सिक्का आदि————

* व्यवहारी की दशा में ही लागू होगा।————

8. क्या वह रजिस्ट्रीकृत है—

यदि है तो—

(i) रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी का नाम और स्थान—

(ii) रजिस्ट्रीकरण सं०—

9. सामग्री—

10 आकार—

11 प्रस्थापित कीमत—

स्थान :

तारीख :

स्वामी का हस्ताक्षर

नाम—

(स्पष्ट अक्षरों में)

जैसा हस्ताक्षर में और मुद्रा में है।

अनुभाग ख (नए स्वामी द्वारा पूरा किया जाएगा)

1. नाम—
2. पूरा पता :
   (1) वर्तमान—
   (2) स्थायी—
3. अर्जन की रीति—
   (अर्थात्, क्रय, दान, उत्तराधिकार, अनुदान, आदि)
4. वस्तु वर्तमान में कहां स्थित है—
5. वस्तु की अभिरक्षा और सुरक्षा के उपाय—

*6. राष्ट्रीयता—
*7. पासपोर्ट सं०—
*8. भारत में रुकने की अवधि—
*9. आने का प्रयोजन —

मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ ठीक और पूर्ण है। मैं पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 और उसके अधीन बनाए गए और समय-समय पर प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों का पालन करने के लिए वचनबद्ध होता हूं।

मैं यह जानता हूं कि मेरे द्वारा अब अर्जित की गई वस्तु पुरावशेष है और इसे महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्राधिकार से दी गई अनुज्ञप्ति से अन्यथा भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर नहीं भेजा या ले जाया जा सकता और ऐसी वैध अनुज्ञप्ति के बिना इसे भारत से बाहर भेजने या ले जाने का प्रयास विधि के अधीन दण्डनीय है।

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम —

(बड़े अक्षरों में)

तारीख

जैसे हस्ताक्षरित है।

* केवल विदेशियों की दशा में लागू होगा।

(छ) प्रारूप IX के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"प्रारूप X

नियम 6(ङ) देखिए

पुरावशेषों के विक्रय या विक्रय कराने का कारबार चलाने की अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन.

1 आवेदक का नाम—
2 आवेदक का वर्तमान पता—
3. अभ्यर्पित की जाने वाली अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां —
   (क) संख्या —
   (ख) तारीख —
   (ग) धारक का नाम —
   (घ) वैधता की तारीख सहित, अवधि —
4. अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने के कारण —

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते है कि मैं/हम उपरोक्त अनुज्ञप्ति को जिसका मैं/हम धारक हूं/हैं अभ्यर्पित करना चाहता हूं/चाहते हैं और मैं/हम यह जानता हूं/जानते हैं कि ऐसे अभ्यर्पण की स्वीकृति के पश्चात् मैं/हम अनुज्ञप्ति शुल्क के प्रतिदाय के रूप में या किसी भी प्रकार की रियायत के हकदार नहीं रह जाएंगे। मैं/हम अब घोषणा की तारीख को पुरावशेषों के अपने स्टाक की बाबत प्रारूप V में एक घोषणा संलग्न करता हूं/करते हैं और इस अभ्यर्पण की स्वीकृति से ठीक छह मास के पश्चात् प्रारूप VI में एक और घोषणा प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध होता हूं/होते हैं।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर और

तारीख : नाम —

अनुज्ञप्ति सं०—

फर्म की मुद्रा"—

[सं० 1/64/76-पुरा०]

म० न० देशपाण्डे, महानिदेशक तथा पदेन संयुक्त सचिव,

## MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

**(Archaeological Survey of India)**

New Delhi, the 30th November, 1978

**G.S.R. 564(E).**—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972), the Central Government hereby makes the following amendments in the Antiquities and Art Treasures Rules, 1973, namely :—

(1) These rules may be called the *Antiquities and Art Treasures (Amendment) Rules*, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Antiquities and Art Treasures Rules, 1973 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, at the end

of the explanation, the following words shall be added namely :—

"duly authorized in this behalf by the Director General".

3. for sub-rule (2) of rule 5 of the said rules, the following shall be substituted, namely :—

"(2) Every licence granted under sub-rule (1), shall be valid for two years from the date of issue. This period of two years may be extended by one year by the licensing officer, if application for such extension is received by him at least two months before the date of expiry and the licensing officer is satisfied with the performance of the licensee".

4. In rule 6 of the said rules,—

(i) in condition (a),—

(a) in the first proviso, for the entry "Form I", the entry "Form IA" shall be substituted;

(b) for the second proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided further that in the case of the death of licensee, when the licensee is an individual, a fresh licence for the unexpired period of the licence can be granted in Form IIA. without payment of any fee, to the legal heir of the late licensee subject to the condition that an application in Form IA is made by that heir to the licensing officer, and the licensing officer is satisfied with the factors mentioned in rule 5, in regard to the applicant";

(ii) for the existing condition (b), the following shall be substituted, namely :—

"(b) No licensee shall enter into partnership, or if the licensee is already a partnership firm, into further partnership, in regard to the business covered by the licence :

Provided that if the licensee wants to enter into partnership or further partnership, as the case may be, in regard to the business covered by the licence, all the proposed partners including the existing one(s) may apply in Form IA to the licensing officer and if the licensing officer is satisfied with all the facts mentioned in rule 5 in regard to all the proposed partner(s) he may issue a fresh licence in Form IIA for the unexpired period of the licence without payment of any fee";

(iii) for the existing condition (c), the following shall be substituted, namely :—

"(c) No licensee shall shift his business covered by the licence to new premises during the currency of the licence. However, if he wants to do so, he may apply in Form IA to the licensing officer and if the licensing officer is satisfied with the fact mentioned in section 8(b) of the said Act, in regard to the proposed premises, he may modify the licence accordingly. The modified licence shall be valid in regard to the new premises only from the date of such modification";

(iv) after condition (i), the following conditions shall be inserted, namely :—

"(j) In case of termination of a licence through expiry/dissolution of partnership, the ex-holders of the licence shall be allowed to sell the antiquities in his/her/their possession on the date of termination to a licensee or recognised museum in India within six months of the date of termination of the licence provided the ex-holder of the licence has/have properly declared his/her/their stock in Form V as laid down in conditions (k) and (m).

(k) Two months before the date of expiry of a licence, every licensee shall send to the licensing officer a declaration of stock in Form V and another declaration of stock in Form VI immediately after six months from the date of expiry.

(l) In the case of revocation of a licence for non-compliance with any condition for the grant of a licence, an ex-licensee shall submit a declaration of stock in Form V to the licensing officer within fifteen days of revocation.

(m) In the case of dissolution of a partnership firm, which holds a licence, every partner in the firm shall immediately on dissolution, jointly, or severally, send to the licensing officer a declaration of stock in Form V and another declaration of stock in Form VI immediately after six months from the date of dissolution.

(n) A licensee who wants to surrender his licence shall apply in Form X to the licensing officer. The application shall be accompanied by a declaration of stock in Form V. If the licensing officer is satisfied that there has been compliance with all the conditions of the licence by the licensee, he may accept the surrender and the licence shall be deemed to have terminated from the date of such acceptance. This shall not entitle the licensee to any compensation by way of refund of licence fee in any form.

(o) The licensee who has surrendered his licence shall be allowed to sell the antiquities declared to another licensee or recognised museum in India upto six months from the date of acceptance of the surrender of his licence provided that on the expiry of such six months, he shall send to the licensing officer a declaration of stock in Form VI.

5. In rule 7 of the said rules :—

(a) for the words "for such further period not exceeding three years, as the licensing officer may deem fit" the words "for a further period of two years at one time" shall be substituted.

(b) after rule 7, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that such application is received by the licensing officer at least two months before the date of expiry of the licence and is accompanied by a declaration of stock in Form V".

6. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (a), the words "and art treasures" shall be deleted.

7. In rule 9 of the said rules for the words "declaration under section 12" the words "declaration under section 12 and rules 6 and 7" shall be substituted.

8. In rule 11, sub-rule (2), for the words "four copies of photographs in post card or large size" the words "three copies of photographs in post card or quarter size", shall be substituted.

9. After rule 14, the following shall be inserted, namely :—

"15. Director General to sanction prosecution.—The Director General shall be the officer competent in terms of sub-section (1) of section 26 of the Act, to institute, or to sanction institution of, prosecution for offences under sub-section (1) of section 25 of the Act."

10. After the rules, the following note shall be inserted, namely :—

"Note : The declarations in Form V and VI referred to in conditions (j) to (o) of rule 6 and sub-rule (b) of rule 9, shall be made either by registered post or in person".

11. In the forms—

(a) After Form I, the following Form shall be inserted namely :—

"FORM IA

**[See rule 6]**

Application for grant of a fresh licence for carrying on business of selling or offering to sell antiquities in lieu of one, the holder of which has died, or the holder(s) of which has/have transferred his/their business to other(s) or the holder(s) of which propose(s) to enter into partnership/further partnership.

1. Name and address of applicant(s).

2. Name and address of firm including its branches or collaterals and other names (aliases) and addresses during the last 10 years.

3. Names and addresses of partners, if any, including adult members of the family having an interest in or share in, the business.

NOTE : In case this application is in consequence of proposed entry into, or proposed enlargement of the existing partnership, the required details should be applied separately for the existing holders and the proposed partners

4. Address of showroom/sale premises.

5. Address of all godowns and repositories including residential premises of the constituents.

6. The period for which the applicant has been in business giving the details of his experience.

7. Whether the applicant/firm (including all constituents individually and jointly) was convicted of any offence punishable under the Antiquities (Export Control) Act, 1947, or in any other case involving theft or smuggling of antiquities. If so, details thereof may be stated.

8. Whether the applicant/firm (including all constituents individually or jointly) is a subject of prosecution/ investigations/ inquiry regarding the infringement of the Antiquities (Export Control) Act, 1947 or the theft of antiquities or art treasures.

9. Whether all stock upto the date of application has been entered in the applicant's register.

10. The village, town or city, including District and State where the applicant intends to carry on the business.

11. Nature, i.e., details of the varieties of the business which the applicant wishes to deal in, such as stone sculptures, metal works, wood works, coins, paintings, manuscripts, jewellery and the like.

12. Category-wise list of all objects on hand claimed by the applicants to be antiquities including those which have been registered with registering officer.

13. Particulars of the licence in lieu of which a fresh licence is needed.

(a) No.

(b) Date

(c) Name(s) of the licensee.

(d) Period with dates for which issued/renewed.

14. The circumstance in consequence of which this application has been made.

(Death of the licensee/transfer of business/entry into partnership/enlargement of the existing partnership). Proof must be furnished.

15. I/we declare that the above information is correct and complete to the best of my/our knowledge and belief. I/we also undertake to observe the provisions of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972, and the rules made thereunder. I/we also enclose an attested** copy of the Income Certificate for the preceding year (19 ..... 19.....'..) and the Registration Number of the business establishment. I/we also undertake to intimate any change of address or acquisition of new godown within a week.* I/we also undertake to maintain such records, photographs and registers and furnish at my/our expense periodical returns with such particulars and photographs as may be required under the rules. I/we also undertake to make available every record, photograph and register maintained in this connection for the inspection of the licensing officer, or any other gazetted officer of Government authorised in writing by the licensing officer in this behalf.

Seal of the Organisation

Place

Date

Name and signature of the applicant"

---

**To be attested by a gazetted officer with seal of office.
*Any change of address has to be promptly intimated to the licensing officer.

(b) After Form II, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM IIA

[See Rule 6]

Licence No.
Date of Issue

Licence for carrying on the business of selling or offering to sell antiquities, in lieu of one the holder of which had died or the holder(s) of which has/have transferred his/their business to other(s) or the holder(s) of which propose(s) to enter into partnership/further partnership.

Whereas the holder(s) of licence No. ... .dated..... .....valid from, .....to.....has/have died/transferred his/her/their business to other/propose(s) to enter into partnership/further partnership.

And whereas the heir/transferee/proposed partners whose particulars are given below, has/have applied for the issue of a fresh licence in lieu of the licence aforesaid for the unexpired period of the licence aforesaid.

Name :
Father's name :
Address :

And whereas the applicants aforesaid have undertaken to observe the provisions of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 and the rules made thereunder, as amended from time to time.

I,.....licensing Officer do hereby grant this licence under sub rule (1) of rule (5) of the Antiquities and Art Treasures Rules, 1973..... .....for the period with effect from..... .....

The licence is granted subject to the provisions of the said Act, and rules and is further subject to the following conditions :—

(1) The licensee will deal only in the following categories of antiquities. The area where the business will be carried on will be....

.....

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Seal of Office

Place

Date

Signature

Name

Licensing Officer"

(c) For the existing Form V the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM V

Declaration of stock [*See conditions under rule* 6 (*j*), (*k*), (*l*), (*m*) , (*n*) *rule* 7(*ii*) *and rule* 9(*a*)]

Particulars of objects (category-wise)

| Serial No. in the register | Identification and description of the object (registered or unregistered) | Material | Size | Approximate age | Date of registration if registered | Registration No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

I/We declare our stock of antiquities as hereabove on the date of the declaration.

Seal of Organisation

Signature of the Licensee

Place

Name of the firm

Date

Licence No....."

(d) For the existing Form VI, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM VI

Declaration of stock [*see conditions under rule* 6(*k*), (*m*), (*o*) *and* 9(*b*)]

Particulars of objects sold out of the stock declared on.....

| Serial No. in the register | Description of the objects with photographs | Name and address of the licensee/ licensee firms to whom sold | Date of sale | Price at which sold | Approximate age | Balance with details (registration No. etc.) of the objects in hand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

I/We hereby declare the stock of antiquities as hereabove held by me/us on the date of making this declaration.

Seal of the Organisation

Signature of Licensee

Place

Name of the firm

Date

Licence No....."

(e) In Form VII, item 3, for the words "four copies of photographs in postcard size," the words "three copies of photographs in postcard or quarter size" shall be substituted;

(f) for the existing Form IX, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM IX

TRANSFER OF OWNERSHIP

**(see rule 13)**

N.B.—1. This form must be completed (in triplicate) simultaneously with the transfer of ownership.

2. One copy shall be sent to the registering officer concerned and the other two to the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi by registered post—so as to reach them within ten days of transfer.

3. In case the object is an unregistered antiquity, each copy of this form shall be accompanied by a photograph (in sharp focus) of the object in post-card or quarter size. If the sides of the object are decorated differently than the front, the photographs, as stated above, shall be sent in respect of each such side also in addition to the front side.

4. The responsibility for completion of the above formalities rests with the seller/giver if the object has been sold, gifted or donated; otherwise with the new owner of the object.

SECTION—A (TO BE COMPLETED BY THE SELLER/GIVER)

1. Name of Owner.....
2. Address of Owner.....
*3. Licence No.....
4. Serial No. in Register.....
5. Serial No. in Album.....
6. Name/Subject of object.....
7. Nature (e.g. sculpture, painting, manuscript, coin, etc).....
8. Whether it is registered ?.....
   If so—
   (i) Name and Station of registering officer.....
   (ii) Registration No.....
9. Material.....
10. Size.....

11. Price offered.....

Place

Signature of Owner

Date

Name (In Block letters)
as signed and Seal

*Applicable in the case of dealers only.

SECTION B (TO BE COMPLETED BY TNE NEW OWNER)

1. Name .....
2. Complete address (i) Present.....
(ii) Permanent.....
3. Mode of acquisition.....
(e.g. purchase, gift, inheritance, donation, etc.)
4. Present Location of object.....
5. Safeguards for preservation and security of the object.....
†6. Nationality .....
†7. Passport No.....
†8. Duration of stay in India.....
†9. Purpose of visit.....

I hereby declare that the information given above by me is correct and complete to the best of my knowledge and belief. I undertake to observe the provisions of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 and the rules made thereunder as in force from time to time.

I am aware that the object now acquired by me is an antiquity, that it cannot be taken or sent out of the territorial limits of India except on the authority of a permit issued by Director General,Archaeological Survey of India and that any attempt to take or send out of India without such a valid permit is punishable under the law.

Station

Signature

Date

Name (in capital letters)
as Signed"

†Applicable in the case of foreigners only.

(g) after Form IX, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM X

**(see rule 6(n)**

Application for surrender of a licence for carrying on the business of selling or offering to sell antiquities.

1. Name of the applicant.....
2. Present address of the applicant.....
3. Particulars of the licence to be surrendered :
   (a) Number
   (b) Date
   (c) Name of the holder
   (d) Period with dates of validity.
4. Reason for surrendering the licence.

I/We hereby declare my/our intention of surrendering the licence aforesaid, of which I/We/am/are holder(s) and am/are aware that on the acceptance of this surrender, I/We will not be entitled to any compensation by way of refund of licence fee or in any other form. I/We hereby attach a declaration on Form V of the stock of antiquities held by me/us on the date of this declaretion and hereby undertake to submit another declaration on Form VI immediately six months after the date of acceptance of this surrender.

Place

Signature and name of the applicant

Date

No. of licence
Seal of the firm"

[No. 1/64/76-Art.]

M. N. DESHPANDE, Director General,
Archaeological Survey of India and ex-Officio
Joint Secretary.

881 GI/78—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978